संख्या-18/001/36-25-27-3099-37-2025

प्रेषक,

चन्द्र भूषण
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांकः 26 मार्च, 2025**

विषयः एल0ए0 वाद संख्या-156/1991, निष्पादन वाद संख्या-10/2012 निहालुद्दीन बनाम उ0प्र0 सरकार में डिक्रीटल धनराशि मा0 न्यायालय में जमा कराये जाने हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-16/मु0अ0(अनि)/अनिमं-6/यू-3/भू-प्रतिकर/पूर्वीगंगा, दिनांक 09.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अधिशासी अभियन्ता, पूर्वीगंगा नहर निर्माण खण्ड-6, नजीबाबाद में स्थायी नहर निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे से संबंधित एल0ए0 वाद संख्या-156/1991, निहालुद्दीन बनाम उ0प्र0 सरकार मा0 अपर जिला जज, बिजनौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.02.2012 के विरूद्ध निष्पादन वाद संख्या-10/2012 निहालुद्दीन बनाम उ0प्र0 सरकार में धनराशि मा0 जनपद न्यायालय में जमा कराये जाने हेतु धनराशि रूपये 2,47,123.00 (दो लाख, सैंतालिस हजार, एक सौ तेईस रूपये) को प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार भुगतान किये जाने की विधिक बाध्यता है।

अत: पूर्वीगंगा नहर निर्माण खण्ड-6, नजीबाबाद में स्थायी नहर निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे से संबंधित एल0ए0 वाद संख्या-156/1991, निहालुद्दीन बनाम उ0प्र0 सरकार मा0 अपर जिला जज, बिजनौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.02.2012 के विरूद्ध निष्पादन वाद संख्या-10/2012 निहालुद्दीन बनाम उ0प्र0 सरकार में धनराशि मा0 जनपद न्यायालय में जमा कराये जाने हेतु धनराशि रूपये 2,47,123.00 (दो लाख, सैंतालिस हजार, एक सौ तेईस रूपये) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त भुगतान करने के पूर्व पुन: एक बार भूमि के स्वामित्व के अभिलेखों एवं तत्सम्बन्धी गणनाचक्र का प्रवर्त्त नियमों के प्रकाश में भलीभांति परीक्षण एवं समाधान कर लेने के पश्चात ही भुगतान सही भू-स्वामी को किया जाए। किसी गलत भू-स्वामी को किए गए भुगतान के लिए अथवा एक ही भू-स्वामी को उसी भूमि के लिए एक से अधिक बार नियमों के विरूद्ध भुगतान करने पर यह एक वित्तीय अनियमितता होगी, जिसके कारित होने पर सम्बन्धित समस्त अधिकारी/अभियन्ता/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 2,47,123.00 (दो लाख, सैंतालिस हजार, एक सौ तेईस रूपये) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 094 लेखाशीर्षक-4700-31-050-10-16 सम्बद्ध कार्य मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (भारित) के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय
चन्द्र भूषण
अनु सचिव

<u>पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(3) मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (रूहेलखण्ड), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, बरेली।
(6) मुख्य अभियन्ता (पूर्वीगंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, मुरादाबाद।
(7) अनु सचिव(लेखा)/आहरण वितरण अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(8) कोषाधिकारी, बिजनौर।
(9) अधीक्षण अभियन्ता, पूर्वीगंगा नहर निर्माण मण्डल, बिजनौर।
(10) अधिशासी अभियन्ता, पूर्वीगंगा नहर निर्माण खण्ड-6, नजीबाबाद।
(11) सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(12) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
(13) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
(14) गार्ड फाईल।

आज्ञा से
चन्द्र भूषण
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।